न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 15/2020

दायर दिनांकः 02.11.2020

निर्णय दिनांक 25.07.2025

–: अनवान :–

श्री बाबूलाल पिता पन्नालाल जी तेली आयु वयस्क निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द

– रेस्पोण्डेन्ट

श्रीमान तहसीलदार सा० राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 95/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2020 बअनवान सरकार बनाम बाबूलाल के विरूद्ध प्रथम अपील

उपस्थित :–

1– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट

2– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द प्रकरण संख्या 95/2020 निर्णय दिनांक 03.09.2020 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को दिनांक 27.08.2020 का राजस्व ग्राम बामनटुकडा के आराजी नम्बर 20 रकबा 0.01 बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण होना बता दिया इस पर अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 27.08.2020 को अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत कराया और न्यायालय ने नकले प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। दिनांक 28.08.2020, 29.08.2020 एवं 30.08.2020 को राजकिय अवकाश था और पेशी दिनांक 03.09.2020 को ही नियत थी इसलिए दस्तावेज प्राप्त नही हो सके और जवाब भी प्रस्तुत करने की स्थिति में अपीलाण्ट नही था इसलिए अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर बिना विचार किये तथा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलाण्ट को बिना सुने मनमकसुद तरिके से विधि विरूद्ध बिना कानूनी प्रकिया की पालना किये बेदखली का आदेश दे दिया जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट इन आधारो एवं अन्य आधारो पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.09.2020 का आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धि एवं तथ्य सम्बन्धि भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है, अपीलाण्ट जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा उस प्रार्थना पत्र पर बिना विचार किये एवं उसे निस्तारित किये आदेश पारित करने में भूल की है। वादग्रस्त बाडे पर अपीलाण्ट का अपने पुर्वाधिकारीयों के समय से ही करीबन 50 वर्ष का कब्जा आधिपत्य है जिसमें अपीलाण्ट अपने मवेशी बान्धता है तथा इस बाडे के भाग में सार्वजनिक रूप से पशुओं को पानी पिलाने की प्याउ बनवा रखी है जिससे सभी पशु सार्वजनिक रूप से पानी पीते है, उक्त प्याउ बने करीबन 50 वर्ष हो चुके है। अधिनस्त न्यायालय ने उक्त प्रकरण में किसी भी पक्ष के कोई बयान नहीं लिए और जल्दबाजी में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए जल्दबाजी में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने को आधार मान भूमि किस्म रास्ता व आम सुविधा की भूमि होने को आधार मान कयासी आधार पर आदेश पारित किया है, अपीलाण्ट की आधिपत्य की भूमि में कभी भी काई रास्ता विद्यमान नही रहा तथाकथित भूमि रास्ते के लिए अनूपयोगी होकर विगत 50 वर्षों से अपीलाण्ट एवं उनके पुर्वाधिकारियो का आधिपत्य रहा है। अधिनस्त न्यायालय में पटवारी ने अपने तथ्यो के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की और अपने तथ्यों को साबित नही कराया है, बावजुद इसके अधिनस्त न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने में भूल की हैं अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित कयासी आधारो पर बेदखली का आदेश देने में विधि सम्बन्धी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को दिनांक 27.08.2020 का राजस्व ग्राम बामनटुकडा के आराजी नम्बर 20 रकबा 0.01 बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण होना बता दिया इस पर अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 27.08.2020 को अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत कराया और न्यायालय ने नकले प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। दिनांक 28.08.2020, 29.08.2020 एवं 30.08.2020 को राजकीय अवकाश था और पेशी दिनांक 03.09.2020 को ही नियत थी इसलिए दस्तावेज प्राप्त नही हो सके और जवाब भी प्रस्तुत करने की स्थिति में अपीलाण्ट नही था इसलिए अपीलाण्ट के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर बिना विचार किये तथा अपीलाण्ट को बिना सुने मनमकसुद तरिके से विधि विरूद्ध बिना कानूनी प्रकिया के पालना किये बेदखली का आदेश दे दिया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.09.2020 का आदेश पारित करने में विधि सम्बन्धि एवं तथ्य सम्बन्धि भूल की है। वादग्रस्त बाडे पर अपीलाण्ट का अपने पुर्वाधिकारीयों के समय से ही तकरीबन 50 वर्ष का कब्जा आधिपत्य है जिसमें अपीलाण्ट अपने मवेशी बान्धता है तथा इस बाडे के भाग में सार्वजनिक रूप से पशुओं को पानी पिलाने की प्याउ बनवा रखी है जिससे सभी पशु सार्वजनिक रूप से पानी पीते है, उक्त प्याउ बने करीबन 50 वर्ष हो चुके है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में किसी भी पक्ष के कोई बयान नहीं लिए और जल्दबाजी में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने को आधार मान भूमि किस्म रास्ता व आम सुविधा की भूमि होने को आधार मान कयासी आधार पर आदेश पारित किया है, अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का बामनटुकड़ा ने अपीलार्थी बाबूलाल पिता पन्नालाल तेली निवासी बामनटुकड़ा के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम बामनटुकड़ा की बिलानाम भूमि पर बाबूलाल पिता पन्नालाल तेली निवासी बामनटुकड़ा ने पत्थर का कोट बनाकर बाड़ा बना अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का बामनटुकड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसकी अनुपालना में अतिक्रमी की ओर अधिवक्ता ने वकालत पत्र प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी कर समूचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया जाकर बेदखली आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि बिलानाम होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बिलानाम भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे से बेदखली आदेश पारित करने व अतिक्रमी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। एवं जहां तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के 50 वर्ष पुराना कब्जा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

होने का प्रश्न है अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य न तो इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा दिनांक 03.09.2020 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)